भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3726

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विवाह पर्यटन

†3726. श्री प्रवीण पटेल:
श्री बसवराज बोम्मईः
डॉ. भोला सिंहः
श्री प्रताप चंद्र षडंगी:
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में 'विवाह पर्यटन' आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में एकसमान और सरलीकृत विवाह पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) प्रस्तावित एकसमान प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत विवाहों की कानूनी वैधता और प्रलेखन आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अंतर-राज्यीय विवाह पंजीकरण को सुकर बनाने और अधिवास आधारित प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए कोई विधायी अथवा नीतिगत सुधार करने का विचार है;

(ङ) क्या राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने अनिवासियों के लिए विवाह पंजीकरण को सरल बनाने के केन्द्र के अनुरोध पर सकारात्मक कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (च): विवाह पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम

से विवाह पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देकर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एक संवर्धनात्मक अभियान "इंडिया सेज़ आई डू" शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत को एक प्रमुख विवाह गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया अभियान, प्रभावशाली लोगों, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन एक्टीवेशन्स का लाभ उठाना है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से 5 मई, 2024 को जयपुर में ग्रेट इंडिया ट्रैवल बाजार के साथ-साथ 'वेड इन इंडिया' एक्सपो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के विवाह योजनाकारों, राज्य सरकारों, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर ऑपरेटरों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों ने भाग लिया।

विवाहों के पंजीकरण का कार्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है।

*****